रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2009/वैशाख 1, 1931
No. 67] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2009/VAISAKHA 1, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 16 अप्रैल, 2009

सं. टीएएमपी/9/2006-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधाम टाऊनशिप भूखंडों के पट्टा किरायों की वैधता को विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/9/2006-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) ... आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधाम टाऊनशिप भूखंडों के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा 22 अप्रैल, 2008 को अस्थाई रूप से संशोधित किए गये थे । उक्त आदेश राजपत्र सं. 100 द्वारा 16 जून, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये पांच वर्षों की वैधता अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर, 2008 तक के साथ 1 जनवरी, 2004 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन योग्य थे ।

2. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 13 मार्च, 2009 द्वारा इस प्राधिकरण से 22 अप्रैल, 2008 को पारित आदेश की वैधता छह महीनों के लिए यह कहते हुए बढ़ाने का अनुरोध किया है कि उसने गांधीधाम टाऊनशिप भूखंड के पट्टा किरायों के संशोधन कार्य शुरू कर चुका है ।

3. चूंकि केपीटी द्वारा आबंटित भूखंडों के मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता को उस तारीख से विस्तारित किया जाए । महापत्तनों की भूमि निति पर फरवरी/मार्च, 2004 में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक की जाए जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जाता है । अप्रैल 2008 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश में भी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह शर्त निर्धारित की गई है । पट्टा किरायों की मौजूदा अनुसूची में पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पहले से ही दी गई है जब तक दरें इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं ।

4. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित भूखंड के लिए मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता को 1 जनवरी, 2009 से छह माह की अवधि के लिए अथवा केपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) प्रशुल्क प्रस्ताव पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है । केपीटी को सलाह दी जाती है कि भारत के राजपत्र में इस प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पट्टा किरायों के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करे ।

अरविन्द कुमार, सदस्य

[विज्ञापन/III/4/143/08-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th April, 2009

No.TAMP/9/2006-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of lease rentals of the Gandhidham Township Lands allotted by the Kandla Port Trust (KPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/9/2006-KPT

Kandla Port Trust (KPT) .....Applicant

ORDER

(Passed on this 27th day of March, 2009)

The lease rentals of the Gandhidham Township lands allotted by the Kandla Port Trust (KPT) were revised provisionally by this Authority on 22nd April, 2008. The said Order was notified in the Gazette of India on 16th June, 2008 *vide* Gazette No. 100. The lease rentals approved by this Authority were implementable with retrospective effect from 1st January, 2004 with a validity period of five years, i.e. upto 31st December, 2008.

2. The KPT by its letter dated 13th March, 2009 has requested this Authority to extend the validity of the Order passed on 22nd April, 2008 by six months stating that it is has already initiated the revision of lease rentals of the Gandhidham Township Land.

3. Since the validity of the existing lease rentals for lands allotted by KPT expired on 31st December, 2008, it is necessary to extend the validity of the existing lease rentals beyond that date. The guidelines issued by the Government in February/March, 2004 on land policy of major ports stipulates that the lease rentals shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Competent Authority. The Order approved by this Authority in April, 2008 also prescribes this condition in terms with the Government guidelines. The existing Schedule of lease rentals already provide for an annual escalation of 2% in the lease rentals till the rates are revised by this Authority.

4. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing lease rentals for land allotted by the Kandla Port Trust from 1st January 2009 for a period of six months or date of effect of Notification of the revised lease rentals on the tariff proposal (to be) filed by the KPT, whichever is earlier. The KPT is advised to file its proposal for revision of lease rentals within 30 days from the date of the Notification of this Authority's Order in the Gazette of India.

ARVIND KUMAR, Member

[ADVT./III/4/143/08-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.